

4

# न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 18/2019 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनाम 1. भैरु पिता तुलछा बैरवा निवासी खेडी  
हुरडा जिला भीलवाडा तहसील हुरडा

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से

## निर्णय

दिनांक 20-12-2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम गरवर की आ.न. 162/11 रकबा 15.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटनी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटनी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2019 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी के सम्मन की तामील में विपक्षी की मृत्यु होना अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार हुरडा ने मृतक व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरुद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता है।

तहसीलदार हुरडा द्वारा विपक्षी के कायम मुकाम रिपोर्ट एवं सम्मन पेश नहीं किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 19.12.2019 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण में एक वर्ष व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनायी है, इस प्रकार



अति. जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

तहसीलदार हुरडा ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। प्रार्थी तहसीलदार हुरडा ने मृतक के विरुद्ध 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियम विरुद्ध कृत्य किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार हुरडा ने मृतक व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरुद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता है। अतः तत्कालीन तहसीलदार हुरडा एवं पटवार हल्का भीमलत तहसील हुरडा का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर महोदय (स्थापना) एवं जिला कलक्टर महोदय (विधि) तथा तहसीलदार हुरडा को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हुरडा सम्पूर्ण एवं विधिवत प्रक्रिया अपनाकर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 10/05/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा